225

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2015–16

श्रवण चौधरी उर्फ जयसवाल .....अपीलकर्ता

बनाम

जवाहर चौधरी एवं अन्य .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

26/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2015–16 श्रवण चौधरी उर्फ जयसवाल बनाम् जवाहर चौधरी एवं अन्य, छोटा सरमुड़िया, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 728/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा सरमुड़िया के प्रधान अमृत चौधरी थे। अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र के पोता है एवं उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पोता है। उभय पक्ष के अलावे शिशिर कुमार जयसवाल द्वारा भी निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व प्रधान के जेष्ठ वंशज के पौत्र होने के नाते अपीलकर्त्ता को प्रधान पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा किया गया है। किन्तु उत्तरकारी द्वारा दाखिल लगान रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान लखन चौधरी थे। जो अमृत चौधरी (प्रधान) के द्वितीय पुत्र एवं उत्तरकारी के पिता थे। इसी आधार पर पूर्व प्रधान के पुत्र होने के नाते उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के दावों के अनुसार वह पूर्व प्रधान अमृत चौधरी के जेष्ठ वंशज के पोता है एवं उनका दावा प्रधान पद पर बनता है, इस पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

उत्तरकारी का दावा मौजा के पूर्व प्रधान लखन चौधरी के पुत्र के आधार पर है।

इस प्रकार उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा का पूर्व प्रधान लखन चौधरी थे। अभिलेख में दाखिल लगान रसीद में लखन चौधरी प्रधान अंकित है। उत्तरकारी लखन चौधरी के पुत्र है। साथ ही वह गैंजर सर्वे खतियानी के प्रधान अमृत चौधरी के पोता है तथा अपीलकर्त्ता गैंजर प्रधान के पुत्र के पोता है। ऐसे में भी

उत्तरकारी गैंजर प्रधान के अगला एवं नजदीकी (Next and Nearest) वंशज के रूप में आते है। अतः उनका दावा प्रधान पद पर बनता है।

ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को पूर्व प्रधान लखन चौधरी के पुत्र होने के नाते सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।